

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा**

पीठासीन अधिकारी:— पंकज शर्मा, RAS

श्रीमती प्रेम बाई

उनवान  
बनाम

श्रीमती पुष्पा गुर्जर आदि

दावा बाबत:— बंटवारा आराजीयात बाबत।

मुकदमा नम्बर:— 391/2018 वाद

निर्णय दिनांक:— 09.07.2019

लोक अदालत कैम्प कोर्ट भावलिया में दिनांक 21.06.2018 को राजीनामें के माध्यम से प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/बी/04, दिनांक 25.06.2019 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादीया कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा रावलिया की खाता संख्या 7 की आराजी नं. 543 शा.नं. 544, 560, 578 मीन शा.नं., 579, 588 कुल किता 5 कुल रकबा 2.4900 हेक्टैयर, खाता संख्या 123 की आराजी नं. 722/566 रकबा 0.3800 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:—

1— श्रीमती प्रेम बाई पत्नी सत्यनारायण शर्मा (ब्राह्मण) निवासी भावलिया के रहेगी:—

आराजी नं.	रकबा हेक्टैयर में	लगान रूपये में
566	0.7600	19.38
722/566 उत्तरी भाग	0.1200	3.06

कुल किता 2 कुल रकबा 0.8800 हेक्टैयर कुल लगान 22.44 रूपये

2— श्रीमती पुष्पा पत्नी बाबुलाल गुर्जर, सा. देह के रहेगी, रहन बदस्तुर रहेगा:—

आराजी नं.	रकबा हेक्टैयर में	लगान रूपये में
722/566 पश्चिमी भाग	0.0700	1.79

3— अर्चना, रचना पिता बाबुलाल नाबालिग जरिये सरपरस्त माता मु. पुष्पा पत्नी स्व. बाबुलाल गुर्जर सा. देह के रहेगी:—

आराजी नं.	रकबा हेक्टैयर में	लगान रूपये में
722/566 पूर्वी भाग	0.1900	4.84



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 09.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

